

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद, 7 मंजिल, केन्द्रीय उत्पाद भवन, पोलीटकनिक के पास, आबांवाडी, अहमदाबाद- 380015.

स्थापना आदेश संख्या 21/2013
दिनांक : 21 मार्च, 2013

विषय: अधीक्षक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती के बारे में ।

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, वडोदरा क्षेत्र, वडोदरा से जारी स्थापना आदेश संख्या 13/2013 दिनांक 28.02.2013 एवं अपर आयुक्त (मु.आ.का.), सीमा शुल्क, अहमदाबाद से जारी स्थापना आदेश संख्या 03/2013 दिनांक 02.01.2013 अनुसरण में अधीक्षक की श्रेणी में अन्य आदेश होने तक निम्न स्थानांतरण एवं तैनाती तुरंत प्रभाव से की जाती हैं।

क्रमांक संख्या	अधिकारी का नाम सर्व श्री :	कहाँ से	कहाँ
1	एच. एल. मीना	पदोन्नती पर (KASEZ, गांधीधाम)	राजकोट क्षेत्र
2	बी. एस. मीना	सीमा शुल्क, जामनगर	राजकोट क्षेत्र
3	के. एम. वडालिया	सीमा शुल्क, कंडला	सेवा कर, अहमदाबाद

02. निम्न अधिकारियों ने मुख्य आयुक्त कार्यालय में कार्यग्रहण किया, उन्हें आज अपराह्न याने कि 21.03.2013 को कार्यमुक्त किया जाता है । वर्तमान कैलेण्डर वर्ष में उनके द्वारा ली गई आकस्मिक /वैकल्पिक छुट्टी का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रमांक संख्या	अधिकारी का नाम श्री :	मु.आ.का. में कार्यग्रहण की दिनांक	उपभोग किया आकस्मिक छुट्टी	उपभोग किया वैकल्पिक छुट्टी
1	एच. एल. मीना	15.03.2013	शून्य	शून्य
2	बी. एस. मीना	18.03.2013	शून्य	शून्य
3	के. एम. वडालिया	18.03.2013	01	शून्य

03. उक्त आदेश इस आशय/ तथ्य के पूर्वग्रह के बिना जारी किया जाता है कि उक्त अधीक्षक - गण जो राजकोट क्षेत्र हेतु स्थानांतरण के लिए उचित पाए जाते हैं, तब वहाँ तैनात किए जाएंगे और वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के दौरान अथवा जब कभी आवश्यकता उत्पन्न होने पर राजकोट क्षेत्र में दो वर्षों की अवधि पूर्ण करना अपेक्षित होगा ।

04. राजकोट आयुक्तालय में तैनात अधिकारियों की विस्तृत तैनाती राजकोट क्षेत्र के आयुक्तों की समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी। तदनुसार आवश्यक आदेश आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट द्वारा जारी किया जायेगा ।

05. उपरोक्त आदेश वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के दौरान मानडण्डों के अनुसार सामान्य तैनाती देने के विभागीय अधिकार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले जारी किया जा रहा है ।

06. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है ।



(समीर चिटकारा)

अपर आयुक्त

दिनांक: 21.03.2013

फा.सं. II/03-02/CCO/2013